भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3977
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

जैव-ऊर्जा क्षेत्र का विकास

†3977.श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :
डॉ. भोला सिंह:
श्री मनोज तिवारी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री मुकेश राजपूत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जैव-ऊर्जा क्षेत्र के विकास को और तेज करने के लिए कौन-सी नीतियां और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं तथा विशेष रूप से इथेनॉल मिश्रण के संबंध में 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;
(ख) सरकार द्वारा जैव-ऊर्जा में परिवर्तन के लाभों के बारे में किसानों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं और इस परिवर्तन में ऐसी भागीदारी को किस हद तक सुविधाजनक बनाया जाएगा;
(ग) सरकार द्वारा अपतटीय तेल अन्वेषण के संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए तैयार की जा रही योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;
(घ) इस नए कानून से ऐसे क्षेत्रों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने की संभावना है जिन्हें पहले तेल अन्वेषण के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था;
(ड.) क्या सरकार के पास दूसरों पीढ़ी (2जी) के जैव-इथेनॉल संयंत्रों और उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कोई रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में जैव ऊर्जा की क्या भूमिका है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और सतत विकास को समर्थन देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का समर्थन करने के लिए जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, जैव ईंधन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक संवर्धित एथेनॉल मिश्रण को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2014 से कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत गन्ना आधारित एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए

प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, वर्ष 2018-22 के दौरान शीरा के साथ-साथ अनाज से एथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न एथेनॉल ब्याज इमदाद योजनाओं (ईआईएसएस) की शुरुआत और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) आदि के साथ दीर्घकालिक उठाव समझौते (एलटीओएज), लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की संस्थापना के लिए एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण) योजना" की अधिसूचना ।

(ख): एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत अनाज आधारित एथेनॉल आपूर्ति के लिए प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) द्वारा अपनी परियोजना 'एथेनॉल उद्योगों के कैचमेंट एरिया में मक्का उत्पादन में वृद्धि' के तहत देश भर के किसानों सहित विभिन्न पणधारकों के लिए लाभदायक एथेनॉल उत्पादन की दिशा में गुणवत्तापूर्ण मक्का उत्पादन के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस परियोजना के तहत आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में मशीनीकरण और सर्वोत्तम खरपतवार और पोषक तत्व प्रबंधन के साथ-साथ फॉल आर्मीवर्म और एफ्लाटॉक्सिन का प्रबंधन करना प्रमुख था। *खरीफ* 2024 के दौरान 15 राज्यों के 15 क्लस्टरों में कुल 788 बेहतर पद्धतियों का आयोजन किया गया। रबी 2024-25 में एथेनॉल उद्योगों के कैचमेंट एरिया में 720 एकड़ भूमि पर उन्नत पद्धतियों का प्रदर्शन करने के लिए इनपुट वितरित किए गए। डिस्टिलर और बीज उत्पादन संगठन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

(ग) और (घ): सरकार ने तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश की आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया है। इस विधेयक में विभिन्न लक्षित उद्देश्यों सहित देश में पेट्रोलियम प्रचालन में तेजी लाने के लिए आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी के लिए अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना शामिल है। यह एक निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देता है, सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण, विकास और उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ावा देता है, स्थिरता सुनिश्चित करता है और जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत के तट से दूर स्थित "नो-गो" क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 1,366,708 वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) से घटकर 24,832 एसकेएम रह गया है, जिससे पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों का लगभग 99% अन्वेषण गतिविधियों के लिए खुल गया है। प्रस्तावित विधान के लागू होने से बहुमूल्य खनिज तेल संसाधनों को अनलॉक करने, निवेश आकर्षित करने, सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के विकास और उत्पादन को सुविधाजनक बनाने और देश में विभिन्न गैर-मूल्यांकित और अप्रयुक्त तेल क्षेत्रों के अन्वेषण को सक्षम बनाने की उम्मीद है, जिसमें पहले से नामोद्दिष्ट "नो-गो" क्षेत्रों में ब्लॉक शामिल हैं।

(ङ): सरकार ने वर्ष 2019 में "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण) योजना" को अधिसूचित किया था, जिसे वर्ष 2024 में संशोधित किया गया, जिसका उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की संस्थापना के उद्देश्य से एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, छह वाणिज्यिक-पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2जी) जैव-एथेनॉल परियोजनाओं और चार प्रदर्शन-पैमाने की 2जी एथेनॉल परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के लिए 908 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इनमें से, हरियाणा के पानीपत में वाणिज्यिक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जबकि तीन अन्य वाणिज्यिक पैमाने की परियोजनाएं निर्माण के उन्नत चरणों में हैं।

(च): पिछले 10 वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण ने लगभग 557 लाख मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन को कम करने में मदद की है।

****